पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा

अनुवान रामप्रताप बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 222 / 2025

निर्णय दिनांक ......30/6/25.........

रामप्रताप पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 172 खसरा नं. 2142/1613 तादादी 0.8093 हैक्ट., खसरा नं. 2143/1613 तादादी 2.0738 हैक्ट., खसरा नं. 800 तादादी 5.2983 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम रैयाटुण्डा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम प्रताप पुत्र सुरजाराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम रामप्रताप पुत्र सुरजाराम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम रामप्रताप किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 172 खसरा नं. 2142/1613 तादादी 0.8093 हैक्ट., खसरा नं. 2143/1613 तादादी 2.0738 हैक्ट., खसरा नं. 800 तादादी 5.2983 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम प्रताप Delete कर इसके स्थान पर रामप्रताप अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....30/6/25........ को कैम्प कोर्ट रैयाटुण्डा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)